चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती शिवकन्या देवी निवासी कर्वी ने अपने पति के विरुद्ध शराब पीकर लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज,घर का अनाज बेचने तथा मना करने पर मारपीट करने के सम्बन्ध में व आवेदिका श्रीमती रूबी निवासी राजापुर ने अपने पति के विरूद्ध गाली गलौज करना,मना करने पर मारना पीटना तथा घर से बाहर निकाल देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी एवं आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 40 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह मय हमराह आरक्षी राजीव कुमार सिंह,आरक्षी मनीष त्रिपाठी थाना सरधुवा द्वारा अभियुक्त वीरन पुत्र संता निवासी ग्राम वीरधुमाई सुर्की थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध सरधुवा मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री राजकुमार राय मय हमराह आरक्षी शाकिर अली थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त रामचरन सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी बरुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विजय उर्फ बारेलाल पुत्र रामदीन निवासी कलरा थाना नरैनी जनपद बांदा उम्र करीब 22 वर्ष को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर

02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह चौहान

2.आरक्षी कामता सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रमेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल व उनकी टीम द्वारा 01 चोर को जिला अस्पताल सोनेपुर से चोरी की गयी मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक पाण्डेय पुत्र रामकृष्ण पाण्डेय निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

मोटर साइकिल UP 96 M 7927 हीरो स्पेलेण्डर प्लस

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18.08.2026 को वादी रतन लाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम भभई चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि 10.08.26 समय लगभग 11:30 बजे दिन जिला चिकित्सालय कर्वी-चित्रकूट दवा कराने आया था। मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP 96 M 7927 पार्किंग स्थल खड़ा करके दवा कराने अंदर चला गया, वापस आने पर उपर्युक्त मोटर साइकिल नही मिली। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 500/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 19.08.2026 को कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीपक पाण्डेय पुत्र रामकृष्ण पाण्डेय निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट उम्र करीब 20 वर्ष को मय मोटर साइकिल के गणेश बाग रोड से गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त मोटर साइकिल के संबंध में अभियुक्त से विधिक कागजात मांगे गये तो नही दिखा सका तथा पूछताछ में बताया गया कि इस जिला अस्पताल सोनेपुर से चोरी किया था। मो0सा0 नं0 UP 96 M 7927 को ई-चालान पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी रतनलाल का नाम पाया गया। मोटर साइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रमेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल

2.आरक्षी संजीव सोनी

3.आरक्षी प्रान्सू

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 19.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2023 धारा 302 भादवि0 व 30 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त उमेश कुमार पटेल पुत्र रामकिशोर पटेल निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2023 को वादी सुनील कुमार पटेल पुत्र राज कुमार पटेल निवासी ग्राम खरहा थाना नयागाँव जनपद सतना मध्य प्रदेश द्वारा सूचना दी गयी कि वादी की बड़ी बहन सुनीता देवी को उसके पति उमेश कुमार पटेल पुत्र रामकिशोर पटेल निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा लाइसेन्सी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर देना । इस सूचना पर थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2023 धारा 302 भादवि0 बनाम उमेश कुमार पटेल पुत्र रामकिशोर पटेल निवासी घुरेटनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री सुबेदार बिन्द द्वारा संपादित को गई। विवेचक द्वारा अभियुक्त को दिनांक 13.06.2023 को गिरफ्तार कर, दिनाँक 09.07.2023 को आरोप पत्र मा0न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). आज दिनांक 17.08.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर टीम द्वारा व्यापक स्तर पर अपने -अपने थाना क्षेत्र में साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता गया । जिसमें सभी महिलाएं/बालिकाएं छात्र/छात्राओं व अध्यापकगणों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी जाती है जिसके क्रम में आज भी छात्र/छात्राओं के साइबर अपराध के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का निस्तारण किया गया ।

साइबर अपराध से बचने हेतु सावधानियाँ-

- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये ।
- एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें ।
- डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया ।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0, फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
- बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
- किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।

- टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।
- कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
- फेसबुक,इंस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।
- पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न वीडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबरायें और न ही कोई पैसे भेजें।

आज दिनांक 19.08.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी चित्रकूट में जागरुकता कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री आशुतोष तिवारी,क0आ0ग्रेड बी श्याम लाल गुप्ता एवं आरक्षी शिवम द्विवेदी साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं व अध्यापक गणों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी एवं छात्र/छात्राओं के साइबर अपराध के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का निस्तारण किया गया।

- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये।
- एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें।
- डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0, फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
- बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
- किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।
- कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
- फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।
- पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।

- साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।